कार्यालय निदेशक , प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान , बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा / प्रारं / एसआईक्यूई / 19555 / 2018 /1252-74 दिनांकः– 16.4.2019

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त जिले

विषयः– जिला निष्पादक समिति के पुर्नगठन एवं जिला रैंकिग के संबंध में।
प्रसंगः– राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग के पत्रांक –पत्र6(27) प्र.सु. / अनु.3 2015 जयपुर दिनांक 24.10.2018 एवं शिविरा / प्रारं / एसआईक्यूई / 19555 / 2018 / 1113–1116 दिनांक 29.10.18

उपरोक्त विषय में लेख है कि राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक समसख्यंक दिनांक 15.4.2015 को अतिक्रमित करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग एवं समग्र शिक्षा अभियान द्वारा संचालित की जाने वाली शैक्षिक, सह शैक्षिक, भौतिक उन्नयन, मानवीय संसाधन, राजस्व के बेहतर नियोजन की विभिन्न योजनाओ एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला स्तर पर जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिला निष्पादन समिति का पुनर्गठन किया गया है। तदनुसार अपने जिले मे समिति का पुनर्गठन करना सुनिश्चित करें।

यह समिति जिले मे स्कूल शिक्षा विभाग एवं समग्र शिक्षा अभियान द्वारा संचालित समस्त योजनाओं (आईसीटी, शारदे बालिका छात्रावास, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय,आईईडीएसएस,व्यवसायिक शिक्षा, मॉडल स्कूल, आदर्श विद्यालय, उत्कृष्ठ विद्यालय, एसआईक्यूई आदि)कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के क्रियान्वयन की पर्यवेक्षण एवं मोनेटरिंग करेगी। प्रतिमाह समिति की बैठक आयोजित की जावें। समिति द्वारा विभाग की योजनाओं , कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु अन्य विभागों से सहयोंग एवं समन्वय स्थापित किया जाये।

प्रतिमाह राज्य स्तरीय बैठक मे जिला निष्पादन समिति की रैंक निर्धारित की जाती है। अतः नियमित रूप से बैठक का आयोजन निर्धारित नियोजन के अनुरूप करने हेतु सदस्य सचिव के दायित्व का निर्वहन प्रतिमाह करें। बैठक का कार्यवाही विवरण प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः–

1. उपरोक्तानुसार राज्य सरकार का पत्र
2. जिला रैंक प्रपत्र

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा विभाग
राजस्थान, बीकानेर

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं
पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा / प्रांर / एसआईक्यूई / 19555 /2018 /1252-74 दिनांक - 16.4.2019

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग,राजस्थान,जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव आयुक्त स्कूल शिक्षा , जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, जयपुर।
5. निजी सचिव निदेशक,माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर ।
6. निजी सचिव, निदेशक प्रा.शि राजस्थान बीकानेर।
7. निजी सचिव, जिला कलक्टर समस्त जिले।
8. निजी सचिव, निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग। जयपुर

9. निजी सचिव, निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
10. निजी सचिव, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा विभाग जयपुर।
11. निजी सचिव, रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग जयपुर।
12. उप शासन सचिव (आयोजना)प्रारंम्भिक शिक्षा विभाग,शासन सचिवालय, जयपुर।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्,समस्त जिले।
14. निजी सचिव , निदेशक RSCERT , उदयपुर।
15. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग ।
16. प्राचार्य डाइट समस्त जिले।
17. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक एवं प्रारंम्भिक ।
18. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा समस्त जिले।
19. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीफ, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त ब्लॉक।
20. अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (प्रथम) समस्त ब्लॉक।
21. प्रधानाचार्य पदेन पंचायत प्रारंम्भिक शिक्षा अधिकारी समस्त पंचायत।
22. कम्प्यूटर अनुभाग माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारंम्भिक शिक्षा को पत्र देकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
23. कार्यालय प्रति।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा विभाग
राजस्थान, बीकानेर

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं
पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग
राजस्थान बीकानेर

नोटः— समिति के प्रशासनिक विभाग स्तर पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी , राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प.3(1)(15)प्रथम/निर्वा/2018/7586 दिनांक 13.01.2018 द्वारा जारी निर्देशानुसार जिला निष्पादक समिति मे स्वयंसेवी संस्था के किसी व्यक्ति का जिला कलेक्टर द्वारा नामांकन विधानसभा/लोकसभा चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात् किया जाना सुनिश्चित किया जावें।